उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-14/2019/931/तीस-4-2019/01(सा0)/2017
लखनऊ 07 जून,2019

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-1452/30-4-10-172 /89, दिनांक 25 अगस्त, 2010 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल निदेश देते हैं कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी स्तम्भ 2 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित अपराध, तथा स्तम्भ 3 में उल्लिखित धाराओं के अधीन अपराध का, उक्त अनुसूची के 4 एवं स्तम्भ 5 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित धनराशि के लिए शमन कर सकते है :-

अनुसूची

पदधारी जो अपराध का शमन कर सकते हैं	**अपराधों का विवरण**	**मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, जिसके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना हो**	**शमन शुल्क की धनराशि**	
			प्रथम अपराध की दशा में	**द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव, परिवहन। (2) पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस/ यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक /उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।	**अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देना।**	धारा-6(2) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177	**500/-**	**1000/-**
	12 माह से अधिक समय तक अन्य राज्य के रजिस्ट्रीकरण का उपयोग करना।	धारा-47 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177	**300/-**	**500/-**
	मॉग किये जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने में विफल रहना।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 130(1), धारा-177	**500/-**	**1000/-**
	1- वाहन चलाते समय हैडफ़ोन का उपयोग करना। **2- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना।**	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-201 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177	**500/-**	**1000/-**
	बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाना।	उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-201 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177	**500/-**	**1000/-**
	ड्राइवर द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाना (यातायात लाल प्रकाश/पीला प्रकाश लगातार) और बिना संकेतकों के गली बदलना।	धारा-119 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177	**300/-**	**500/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	ड्राइवर द्वारा विनिर्दिष्ट यातायात संकेतकों का उपयोग न करना।	धारा-121 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177	**300/-**	**500/-**
	दो से अधिक सवारी के साथ दो पहिया वाहन चलाना।	धारा-128 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177	**300/-**	**500/-**
	सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक ढंग से यान को पार्क करना।	धारा-122, 126 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177	**500/-**	**1000/-**
	चार पहिया यान के ड्राइवर तथा आगे की सीट पर बैठने वाली सवारी द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न किया जाना।	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-138(3) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177	**500/-**	**1000/-**
	1- बिना नम्बर प्लेट के यान चलाना। **2- नम्बर प्लेट का विहित प्रारूप में न बना होना। अंकों अथवा अक्षरों का विहित रूप और आकार में न होना।**	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177 के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-50 और नियम-51	**300/-**	**500/-**
(एक) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव, परिवहन। (दो) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।	**मंजिली गाड़ी में बिना टिकट यात्रा करना या बिना वैध पास के यात्रा करने पर।**	178(1)	**500/-**	-
-तदैव-	**परिचालक द्वारा टिकट देने से मना करने या कम मूल्य का टिकट देने पर।**	178(2)	**500/-**	-
-तदैव-	**ठेका वाहन के चालक या परमिट धारक द्वारा अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली का उपबन्ध का उल्लंघन करके वाहन को ठेका पर संचालित करने या यात्रियों को ले जाने से मना करने पर:-** **(क) दो पहिया या तीन पहिया मोटर यान की दशा में।** **(ख) यान के किसी अन्य मामले में**	 178(3)(क) 178(3)(ख)	 **50/-** **500/-**	 - -

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(एक) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव, परिवहन। (दो) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट (2) पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस/ यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस के निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उप निरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	**अधिनियम के अधीन सशक्त किसी प्राधिकारी के आदेश को न मानने अथवा उसके कार्य में बाधा डालने पर।**	179(1)	**1000/-**	**-**
-तदैव-	**अधिनियम द्वारा तद्धीन सूचना देने की अपेक्षा किये जाने पर जानबूझ कर सूचना देने पर**	179(2)	**1000/-**	**-**
-तदैव-	**अनधिकृत व्यक्ति को यान चलाने की अनुज्ञा देने पर।**	180	**2500/-**	**-**
-तदैव-	**बिना लाईसेंस या अवयस्क व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर यान का संचालन करने पर।**	181	**2500/-**	**-**
-तदैव-	**यान संचालन के लिए लाइसेंस धारण करने से अपात्र घोषित व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर यान चलाने पर**	182(1)	**2500/-**	**-**
-तदैव-	**लाइसेंस धारण करने से अपात्र होने के बावजूद परिचालक द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर मंजिली गाड़ी में परिचालक के रूप में ड्यूटी करने पर।**	182(2)	**5000/-**	**-**
-तदैव-	**अधिनियम की धारा 112 में गति सीमाओं का उल्लंघन करके किसी से सार्वजनिक स्थान पर यान चलाने पर।**	183(1)	**हल्के मोटरयान की दशा में 2000/- मध्यम/भारी यात्री/माल यान की दशा में 4000/-**	**-**

http://shasanadesh.up.nic.in

-तदैव-	**संचालक/स्वामी द्वारा यान को निर्धारित गति से अधिक गति से चलाने की अनुज्ञा देने पर।**	183(2)	**हल्के मोटरयान की दशा में 2000/- मध्यम/भारी यात्री/माल यान की दशा में 4000/-**	**-**
-तदैव-	**खतरनाक गति या खतरनाक ढ़ग से यान को चलाने पर।**	184	**2500/-**	**-**
-तदैव-	**शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा यान चलाने पर।**	186	**200/-**	**500/-**
-तदैव-	**राज्य सरकार की लिखित सहमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर रेस/ट्रायल में भाग लेना।**	189	**500/-**	**1000/-**
-तदैव-	**सड़क सुरक्षा नियमावली (रिफलेक्टर न होना, रेट्रो रिफलेक्टिव टेप न लगा होना, वाणिज्यिक यानों में विहित मानकों के अनुसार स्पीड लिमिटिंग डिवाइस न लगा होना, ओवर साइज बॉडी, हूटर व सनफिल्मो का अनधिकृत प्रयोग, एक्सेल भार का अप्रयोग) तथा ध्वनि नियन्त्रण एवं वायु प्रदूषण सम्बन्धी विहित मानकों का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटर यान चलाये जाने या चलावाये जाने की अनुज्ञा दिये जाने पर।**	190(2)	**2500/-**	**5000/-**
परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव, परिवहन।	**इस अधिनियम के अध्याय सात का उल्लंघन करके यान का विक्रय या यान की स्थिति में परिवर्तन करने पर।**	191	**500/-**	**500/-**
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव, परिवहन।	**बिना पंजीकरण के धारा 39 के उपबंधों का उल्लंघन करके मोटर यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर चलाने या चलाने की अनुज्ञा देनै पर।**	192	**5000/-**	**10000/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस के निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक।				
परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव, परिवहन।	**अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान चलाये जाने की दशा में:- (क) अधिनियम की धारा 113 और 115 के उपबन्धों का उल्लघन करके कोई मोटर यान चलाये जाने पर तथा (ख) यदि किसी मोटर यान में अधिक भार हो तो प्रतिटन अधिक भार होने पर।**	194(1)	**5000/- और 2000/- प्रत्येक टन के लिये अतिरिक्त**	**-**
-तदैव-	**(ख) अधिनियम की धारा 114 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तौले जाने का निर्देश दिये जाने के पश्चात किसी यान चालक द्वारा तोले जाने हेतु अपना यान प्रस्तुत करने से इनकार किये जाने पर।**	194(2)	**5000/-**	**-**
-तदैव-	**कोई गैर वीमाकृत मोटर यान चलाना या चलाने के लिए अनुज्ञा देना।**	196	**2000/-**	**-**
-तदैव-	**बिना प्राधिकार के यान में अनाधिकृत दखल देने या उसमें छेड़छाड़ करने पर।**	198	**1000/-**	**-**

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या -14/2019/931/तीस-4-2019/01(सा0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 07 जून, 2019 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या -14/2019/931/तीस-4-2019/01(सा0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या -14/2019/931/तीस-4-2019/01(सा0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू नल़उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/न्याय/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. समस्तर मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्तर जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. विधायी अनुभाग-1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (4) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.14/2019/931/XXX-4-2019-1(sa)/2017, dated: 07 June , 2019

Notification
no.14/2019/931/XXX-4-2019-1(sa)/2017
Lucknow dated: 07 June, 2019,

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of Government notification no. 1452/XXX-4-10-172/89, dated August 25, 2010, the Governor is pleased to direct that the officers mentioned in column-1 of the Schedule below may compound the offence mentioned against each in column 2 and offence under sections mentioned in column 3 for amount mentioned against each in column 4 and 5 of the said Schedule-

Schedule

Officials who may compound the offence	**Description of offences**	**The section of the Motor Vehicles Act, 1988, under which an offence is to be compound**	**The amount of compounding fees**	
			In the case of first offense	**Second or In case of follow-up offence**
1	2	3	4	5
(1) Officers of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers of above the rank and principal secretary, secretary and special secretary, Transport. (2) Officers of Police Department (i) Gazetted Officer of Civil Police / Traffic Police (ii) Traffic Police Inspector / Sub-Inspector and Head constable. (iii) Inspector and	**Provide driving license to another person.**	Section-177 of Motor Vehicles Act 1988, read with Section 6 (2)	**500/-**	**1000/-**
	Using other state registration mark for a period exceeding twelve months.	Section-177 of Motor Vehicles Act 1988, read with Section 47	**300/-**	**500/-**
	Failure to submit a driving license on demand.	Motor Vehicles Act, 1988 Section-130 (1), Section-177	**500/-**	**1000/-**
	1- Using headphone while driving. **2- Using mobile phones while driving.**	Section 177 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with the Bye-Laws of rule-21 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989-(6) (d) and (25)	**500/-**	**1000/-**
	Driving Two-wheeled without helmets	Section-177 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with rule-201 of Uttar Pradesh	**500/-**	**1000/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Officials who may compound the offence	Description of offences	The section of the Motor Vehicles Act, 1988, under which an offence is to be compound	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	2	3	4	5
Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment (iv) All executive magistrates;		Motor Vehicles Rules, 1998		
	Violation of traffic rules by the driver (traffic red light/ yellow light continuously) and without any indication changing the alignment.	Section -177 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with Section 119	**300/-**	**500/-**
	No use specified traffic signals by the driver.	Section -177 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with Section 121	**300/-**	**500/-**
	Driving two wheeled more than two person.	Section -177 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with Section 128	**300/-**	**500/-**
	Parking the vehicle dangerously on any public place.	Section -177 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with Section 122, 126	**500/-**	**1000/-**
	No use of seat belt by the driver of four wheeled and a person sitting on the front seat.	Section-177 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with rule-138 (3) of the Central Motor VehicleRules, 1989	**500/-**	**1000/-**
	1- Driving vehicle without number plate. **2-Number plate is not in prescribed form. Numbers or words are not in prescribed form and size.**	Section-177 of the Motor Vehicles Act, 1988, read with rule-50 and rule-51 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, read with section -177 of the Motor Vehicles Act, 1988	**300/-**	**500/-**
(i) Officers of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant	**Travelling without valid pass or ticket in stage carriage.**	178(1)	**500/-**	**-**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Officials who may compound the offence	Description of offences	The section of the Motor Vehicles Act, 1988, under which an offence is to be compound	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	2	3	4	5
Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers of above the rank and principal secretary, secretary and special secretary, Transport. (ii) All executive magistrates;				
-Do-	**Refuse to supply a ticket or supply a ticket of a lesser value by the conductor.**	178(2)	**500/-**	**-**
-Do-	**If the holder of permit or the driver of a contract carriage refuse in contravention of provision of Act or rules made thereunder to ply the contract carriage or to carry the passengers: –** **(a) In the case of two wheeled or three wheeled motor vehicle.** **(b) In any other case of vehicle'.**	178(3)(a) 178(3)(b)	**50/-** **500/-**	**-** **-**
(i) Officers of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers of above the rank and principal secretary, secretary and special secretary, Transport.	**Disobedience of orders or obstructs any authority empowered under the Act in the discharge of any functions.**	179(1)	**1000/-**	**-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Officials who may compound the offence	Description of offences	The section of the Motor Vehicles Act, 1988, under which an offence is to be compound	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	2	3	4	5
(ii)All executive magistrates; (2) Officers of Police Department (i) Gazetted Officer of Civil Police / Traffic Police (ii) Traffic Police Inspector / Sub-Inspector and Head constable. (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment (iv) All executive magistrates;				
-Do-	**Whoever, being required by or under the Act to supply any information, willfully withholds such information or gives information which he knows to be false.**	179(2)	**1000/-**	**-**
-Do-	**Allowing unauthorized persons to drive vehicles.**	180	**2500/-**	**-**
-Do-	**Driving vehicles on any public place without license or under-age person.**	181	**2500/-**	**-**
-Do-	**Driving vehicles on any public place by the person who declared ineligible holding the license for vehicle operation.**	182(1)	**2500/-**	**-**
-Do-	**Despite being ineligible to hold the license, the conductor**	182(2)	**5000/-**	**-**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Officials who may compound the offence	Description of offences	The section of the Motor Vehicles Act, 1988, under which an offence is to be compound	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	2	3	4	5
	performs his duty in stage carriage as conductor on any public place			
-Do-	**Driving vehicles on any public place in contravention of the speed limits referred to in section 112 of the Act.**	183(1)	**In the light motor vehicle 2000 / - In the case of medium / heavy passenger / goods vehicle 4000 / -**	**-**
-Do-	**Allowing to drive vehicles in contravention of the speed limits by the operator / owner.**	183(2)	**In the light motor vehicle 2000 / - In the case of medium / heavy passenger / goods vehicle 4000 / -**	**-**
-Do-	**Driving vehicles dangerously or in a manner which is dangerous.**	184	**2500/-**	**-**
-Do-	**Driving when mentally or physically unfit to drive.**	186	**200/-**	**500/-**
-Do-	**Without written permission of State Government racing and trials of speed in any public place.**	189	**500/-**	**1000/-**
-Do-	**Any person who drives or causes or allows to be driven in any public place a motor vehicle which**	190(2)	**2500/-**	**5000/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Officials who may compound the offence	Description of offences	The section of the Motor Vehicles Act, 1988, under which an offence is to be compound	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	2	3	4	5
	violates the standards prescribed in retation to road safety rules (without reflector, retro reflector tape, no speed limit device in commercial vehicles according standards prescribed over size body, unauthorized use of hooter - sun films, use no excel weight) and control of noise and air pollution.			
Officers of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers of above the rank and principal secretary, secretary and special secretary, Transport.	**Sale of vehicle in or alteration of vehicle to condition in contravention of chapter VII this Act.**	191	**500/-**	**500/-**
(1) Officers of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers of above the rank and principal secretary, secretary and special secretary, Transport.	**Using a motor vehicle or allows a motor vehicle without registration to be used in contravention of the provisions of section 39 in any public place.**	192	**5000/-**	**10000/-**
(2) Officers of Police Department (i) Gazetted Officer of Civil Police / Traffic Police				

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Officials who may compound the offence	Description of offences	The section of the Motor Vehicles Act, 1988, under which an offence is to be compound	The amount of compounding fees	
			In the case of first offense	Second or In case of follow-up offence
1	2	3	4	5
(ii) Traffic Police Inspector / Sub-Inspector and Head constable. (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment.				
Officers of the Transport Department Passenger Tax Officer / Assistant Regional Transport Officer / Regional Transport Officer and all officers of above the rank and principal secretary, secretary and special secretary, Transport.	**In the case of driving vehicle exceeding permissible weight:-** **(A) A motor vehicle to be driven in contravention of the provisions of section 113 and 115 of Act.** **And** **(B) If a motor vehicle has excess load per ton of excess load.**	194(1)	**5000 / -** **And** **2000 / -** **Extra for every ton**	
-Do-	**(B) Any driver of vehicle who refuses to submit his vehicle to weighing after directed to do so by an officer authorized under section 114 of Act.**	194(2)	**5000/-**	**-**
-Do-	**Driving or allows a motor vehicle to be driven uninsured vehicle.**	196	**2000/-**	**-**
-Do-	**Unauthorized interference or temper with vehicle without authorization**	198	**1000/-**	**-**

(Aradhana Shukla),
Principle Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।